



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7628/2007

याचिकाकर्ता :

कामदेव वर्मा, आत्मज विष्णु दत्त वर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष। पदच्युत उप-अभियंता, विकासखण्ड कार्यालय महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.) वर्तमान निवासी ग्राम पलारी, तहसील - पलारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थागण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर(छ.ग.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (पुराना विभाग-विकासखण्ड अधिकारी) महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
3. कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
4. सहायक आयुक्त (विकास) मैनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)



भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री जे.आर. वर्मा, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 3, 4 और 5 के लिए श्री एस.के. मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

// आदेश //

(दिनांक 02 जनवरी, 2008 को पारित)

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि

याचिकाकर्ता महासमुंद विकासखण्ड में उप-अभियंता के पद पर कार्यरत था। उसे

दिनांक 31.01.1981 को सेवा से पदच्युत कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने, इस याचिका के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ,

निम्नलिखित अनुतोषों की ईप्सा की है:

"7.3 यह कि यह माननीय न्यायालय कृपया पदच्युत करने को अवैध, मनमाना, विकृत, पक्षपातपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक अभिनिर्धारित करने की कृपा करें और याचिकाकर्ता को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय दिनांक 8.12.2004(अनुलग्नक पी/3) के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत झूठे फँसाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है। उसे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों, उपादान, पदच्युत कार्यमुक्ति आदेश दिनांक



31.3.1981 से बकाया वेतन और बढ़े हुए वेतन लाभों और दोषमुक्ति की तिथि 08.12.2004 से देय राशि हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के और विधि के उपबंधों के आलोक में अनंतिम रूप से सभी सेवा लाभों की अनुमति दी जाए। माननीय न्यायालय प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध उचित रिट, निर्देश और आदेश जारी करने की कृपा करें।"

3. इस प्रश्न पर कि क्या पदच्युत करने का आदेश दाण्डिक प्रकरण के लंबित होने के आधार पर पारित किया गया था, और आगे यह कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.03.1981 से आज तक क्या किया। विद्वान अधिवक्ता ने, प्रश्न का उत्तर दिए बिना, यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का प्रकरण **जी.एम. टैंक विरुद्ध गुजरात राज्य'** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है, क्योंकि इसमें सम्मिलित तथ्य समान हैं।

4. याचिका प्रस्तुत करने में 27 वर्षों से अधिक के विलंब और शिथिलता के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता दाण्डिक प्रकरण में विनिश्चय की प्रतीक्षा कर रहा था। विद्वान अधिवक्ता उन तथ्यों को स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि विभागीय कार्यवाही और दाण्डिक प्रकरण तथ्यों के एक समान और समरूप समूह पर आधारित थे और याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय प्रकरण में आरोप और दाण्डिक न्यायालय के समक्ष आरोप एक ही थे।

5. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक निर्णय उस बात के लिए प्राधिकार होता है जिसके लिए वह विनिश्चित किया गया है, न कि उसके लिए जिसे तार्किक रूप से उससे निकाला जा सकता है। तथ्यों में थोड़ा सा अंतर या अतिरिक्त तथ्य किसी निर्णय



के नजीर मूल्य में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। (देखें **भावनगर यूनिवर्सिटी विरुद्ध पालीताना शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य²**)

6. पूर्ण तथ्यों की आपूर्ति के अभाव में, यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि याचिकाकर्ता को पदच्युत करना और दाण्डिक प्रकरण तथ्यों के एक समान और समरूप समूह पर आधारित थे और विभागीय प्रकरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप और दाण्डिक न्यायालय के समक्ष आरोप एक ही थे। अतः, **जी.एम. टैंक** (पूर्वोक्त) का प्रकरण विभेदकारी है और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

7. यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में साधारणतया सुस्त और आलसी या मौन सहमति देने वाले और अकर्मण्य व्यक्तियों की सहायता नहीं करता है क्योंकि विलंबित दृष्टिकोण का प्रभाव न केवल कठिनाई और असुविधा पहुँचाने वाला हो सकता है अपितु तीसरे पक्षकारों के साथ अन्याय भी हो सकता है। (देखें

जगदीश नारायण मल्टियार विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य³, पी.एस. सदाशिवस्वामी विरुद्ध तमिलनाडु राज्य⁴, मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध नंदलाल जायसवाल एवं अन्य⁵, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध दीनबंधु मजुमदार एवं अन्य⁶ और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अन्य विरुद्ध के. थंगप्पन एवं अन्य⁷)।

2 2003 (2) scc 111

3 AIR 1973 SC 1343

4 AIR 1974 SC 2271

5 (1986) 4 scc 566

6 (1995) 4 scc 172

7 (2006) 4 scc 322



8. उपर्युक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता ने उसे सेवा से पदच्युत करने वाले आदेश दिनांक 31.01.1981 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया है।

9. अपूर्ण तथ्यों के आधार पर याचिका का विनिश्चय नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि याचिकाकर्ता का यह मत है कि उसकी सेवा समाप्ति का आदेश दण्डिक न्यायालय में लंबित दण्डिक प्रकरण के कारण पारित किया गया था, तो याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है। अभ्यावेदन दिए जाने की स्थिति में, संबंधित अधिकारी विधि के अनुसार अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे।

10. उपर्युक्त के आलोक में, यह याचिका प्रस्ताव स्तर पर निराकृत की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।